संशोधन आदेश

संख्या- 51 /2019 / 3131 /चार-2018

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 06 मार्च, 2019**

विषय:- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में सुरक्षा के दृष्टिगत संग्रहालय में लगे पुराने सी.सी.टी.वी. कैमरे के स्थान पर नये एच. डी. व नाइट विजन कैमरे आवश्यक एसेसरीज सहित प्रतिस्थापित कराये जाने हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 01 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 45/2019 /3131/चार-2018 दिनांक 01 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 45/2019 /3131/चार-2018 दिनांक 01 मार्च, 2019 के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ का अंकन त्रुटिवश छूट गया है। अत: पृष्ठांकन में 'मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ' पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या- 45/2019 /3131/चार-2018 दिनांक 01 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या - 51 /2019 /3131 /चार-2018तद्दिनांका।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ ।
5 - आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6 - प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0,गोमती नगर, लखनऊ।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/